भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1913

जिसका उत्तर 11.12.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार

1913. श्री इमरान मसूद:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हाँ, तो लागू की जा रही इन परियोजनाओं वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष निगरानी तंत्र विकसित किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। यातायात सघनता, संपर्कता की आवश्यकता, सड़क की स्थिति, आपसी प्राथमिकता और प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य किए जाते हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के अनुसार विगत वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान अनुमोदित राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास/निर्माण/उन्नयन परियोजनाओं का विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

(ग) और (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का निर्माण भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के विनिर्देशों और संहिताओं में निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाए। राजमार्ग निर्माण में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, कार्य निष्पादन एजेंसियों द्वारा कार्यस्थल पर कार्यों की दैनिक निगरानी के लिए परामर्शदाताओं [प्राधिकरण के अभियंता (एई) / स्वतंत्र अभियंता (आईई)] की नियुक्ति की जाती है। कार्य निष्पादन एजेंसियों के अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि संविदाकार/रियायतग्राही द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप हो। यदि ऐसी जांच/पर्यवेक्षण के दौरान कोई दोष पाया जाता है, तो उसे आवश्यक सुधारात्मक उपायों के लिए रियायतग्राही/संविदाकार के ध्यान में लाया जाता है। किसी भी चूक की स्थिति में, दोषी एजेंसियों के विरूद्ध संविदा करार के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों में सुधार के लिए सरकार ने निम्नलिखित अतिरिक्त पहलें की हैं, जिनमें से कुछ का विवरण नीचे दिया गया है:-

i. राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में स्वचालित एवं कुशल/मशीन-सहायता प्राप्त निर्माण (एआई-एमसी) को अपनाना;

ii. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले और कार्य पूर्ण होने के बाद नियमित अंतराल पर नेटवर्क सर्वे वाहन (एनएसवी) के माध्यम से सड़क स्थितियों का अनिवार्य मूल्यांकन, जिससे नियमित अंतराल पर राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता का आकलन किया जा सके, ताकि (क) रियायत अवधि/डीएलपी के दौरान अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए अनुरक्षण आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जा सके और विश्लेषणात्मक उपायों का उपयोग करके सड़क स्थिति आकलन के लिए एनएसवी प्रणाली का और अधिक पुनर्गठन और समर्पित केंद्रीय प्रकोष्ठ के माध्यम से संचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) के दौरान संविदात्मक प्रावधानों का प्रवर्तन।

iii. ड्रोन सर्वेक्षणों से एकत्रित हाई-रिज़ॉल्यूशन छवियों का विश्लेषण ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम (डीएएमएस) में किया जाएगा, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ एकीकृत है, ताकि समय-समय पर चल रहे राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का आवधिक मूल्यांकन किया जा सके;

iv. चार राज्यों अर्थात् गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और कर्नाटक में अविनाशी परीक्षण उपकरणों से सुसज्जित मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन (एमक्यूसीवी) की तैनाती, परियोजना कार्यान्वयन चरणों के दौरान समय-समय पर कार्यों की समग्र स्वास्थ्य और गुणवत्ता के नैदानिक आकलन के लिए;

v. आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय ऊर्जा संयंत्रों के कार्यों की स्वतंत्र गुणवत्ता जांच के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता लेखा परीक्षकों की तैनाती।

अनुलग्नक

राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार के संबंध में श्री इमरान मसूद द्वारा दिनांक 11.12.2025 पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1913 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित **अनुलग्नक।**

विगत वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्वीकृत विकास/निर्माण/उन्नयन परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण : -

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2024-25			2025-26 (नवंबर, 2025 तक)		
		संख्या	लंबाई	लागत	संख्या	लंबाई	लागत
1	आंध्र प्रदेश	22	166	2,193	6	159	4,985
2	अरुणाचल प्रदेश	6	95	18	5	52	440
3	असम	8	223	6,382	2	86	6,961
4	बिहार	12	103	3,694	10	357	12,717
5	छत्तीसगढ़	9	143	3,595	9	73	694
6	गोवा	12	54	4,348	3	3	40
7	गुजरात	22	526	16,122	14	259	2,036
8	हरियाणा	6	61	755	2	26	182
9	हिमाचल प्रदेश	11	31	254	3	8	1,065
10	झारखंड	7	147	3,829	2	41	1,099
11	कर्नाटक	4	-	5	1	66	83
12	केरल	3	18	1,103	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	21	846	19,790	4	112	2,047
14	महाराष्ट्र	60	939	23,339	22	494	6,673
15	मणिपुर	3	140	1,356	2	45	116
16	मेघालय	2	23	590	2	196	23,815
17	मिजोरम	1	-	7	3	152	227
18	नागालैंड	4	20	123	1	13	24
19	ओडिशा	16	180	5,447	9	131	8,507
20	पंजाब	15	168	2,608	3	88	1,995
21	राजस्थान	19	238	3,154	10	188	3,726
22	सिक्किम	1	5	161	1	-	7
23	तमिलनाडु	22	342	4,221	10	141	4,294
24	तेलंगाना	1	14	516	2	-	7
25	उत्तर प्रदेश	22	355	18,388	2	36	1,772
26	उत्तराखंड	24	38	1,670	18	84	1,799
27	पश्चिम बंगाल	29	338	14,800	6	23	275

28	चंडीगढ़	0	0	0	1	2	247
29	दिल्ली	0	0	0	1	50	956
30	जम्मू और कश्मीर	5	29	1,262	2	81	32
31	लद्दाख	1	11	29	3	88	76
32	पुदुचेरी	0	0	0	2	18	461

*****